दिनांक .22.02.2021.

22/02/21 पत्रावली पेश हुई। अहलमदान हाजिर नहीं। प्रतिवादी हाजिर नहीं। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना हाजिर नहीं। वादी। प्रतिवादीगण को न्यायालय समय समाप्ति तक रुक-रुक कर आवाज दिलाई लेकिन कोई हाजिर नहीं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183/188 राज. काश. अधि. 1955 को खिलाफ में खारिज किया जाता है। पत्रावली की बाबत निर्णय इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जमा हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर दिनांकित किया गया।

(सुनील शर्मा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी,

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.03.15 15:21:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner